सेवा मे,

श्री आदित्यनाथ योगीजी,

माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

विषय : - गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) मे अवस्थित आम्रपाली वेरोना हाइट्स के खरीददारों की समस्यों एवं आम्रपाली बिल्डर की मनमानी रोकने हेतु हस्तक्षेप की अपील।

आदरणीय महाशय,

सर, मै इस देश का एक आम नागरिक हू जिसने गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) के Tech Zone-IV मे प्लौट संख्या GH-02 मे अवस्थित आम्रपाली वेरोना हाइट्स नाम के एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जो की आम्रपाली बिल्डर द्वारा विकसित किया जा रहा है, मे अपने पूरे जीवन मे कमाए जाने वाले पैसे के आधार पर कर्ज ले कर आम्रपाली ग्रुप की इस प्रोजेक्ट मे आज से चार-साढ़े चार पहले फ्लैट खरीदा था। फ्लैट खरदीदते समय ये वादा किया गया था की 2016 तक सारी सुबिधाओं के साथ फ्लैट दे दिये जाएंगे। वर्तमान समय मे पूरे प्रोजेक्ट मे कुल निर्माण कार्य 20% से भी कम हुआ है जबकी हमसे फ्लैट की कुल कीमत के 80% तक रकम उगाह ली गई है। आज साढ़े चार साल बाद भी फ्लैट मिलना तो दूर निर्माण कार्य भी पूरी तरह दो सालो से बंद है। बिल्डर मेरे जैसे खरीददारों से मिलने के लिए भी राजी नही है। ना ही मेरे ईमेल, telephone का जबाब दिया जा रहा है। उनके कारपोरेट कार्यालय मे घूसने भी नहीं दिया जाता है साइट-ऑफिस से भी कोई जानकारी नही मिलती है। ऐसे प्रतीत होता है की हमारे पैसे डूब गए तथा बिल्डर कभी भी भाग सकता है।

महोदय, शायद आपको ध्यान मे हो की आपके कार्यभार संभालने के तुरंत पश्चात हम ने उच्चाधिकार प्राप्त किसी ईमानदार अधिकारी को अपने प्रतिनिधि के रूप पे नियुक्त करने का आदेश पारित कर इस मामले पर अपनी सीधी नजर रखने और बिल्डर्स द्वारा सताये गए हम जैसे लाखो buyers को इस दलदल से निकलने मे मदद करने का निवेदन किया था। इसके बाद शायद आपके आदेश पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आम्रपाली बिल्डर के साथ हमारी मीटिंग भी करवाई थी पर नतीजा वही ढ़ाक के तीन पात। कोई सकारात्मक नतीजा आना तो दूर की बात है, आज तक उस मीटिंग की proceedings भी जारी नही की गई। सर, हमने इस संबंध मे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जिलाधिकारी, गौतम-बुध नगर से भी मिल के अपनी समस्या बताई तथा उनसे हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी पर कही से भी कोई सुनवाई नही हुई। आज खरीददारों की खून-पसीने की हजारो-करोड़ रुपये की कमाई आम्रपाली ग्रुप जैसे बिल्डरों ने लूट ली है। आज दो महीने बाद हम सभी खरीददार कंगाल होने की कगार पर पहुच गए है। आम्रपाली बिल्डर दिवालिया होने ही वाला है। National Company law Tribunal ने आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ बैंको द्वारा दायर किए गए मामले मे अपना फैसला सुरक्षीत रखा हुआ है। आज आम्रपाली बिल्डर की मंशा समझने के लिए इतना ही काफी है के उसने हाल ही मे उत्तर प्रदेश मे लागू किए गए RERA कानून के तहत आज तक न ही प्रोमोटर के रूप मे और नाही अपने किसी एक भी प्रोजेक्ट का निबंधन कराया है। दंड सहित निबंधन की अंतिम तिथि भी 15 अगस्त, 2017 को समाप्त हो चुकी है।

आज हमारी कोई सुनने वाला नही है। आज इस प्रजातांत्रिक देश मे हम अपने आप को पूरी तरह हताश, निराश, एवं ठगा हुआ महसूस कर रहे है। इस निराशा की घड़ी मे एक आम आदमी एक ही काम कर सकता है - सत्याग्रह - जो हम कर रहे है। दिनांक 12.08.2017 से आम्रपाली ग्रूप के सभी खरीददार इस कंपनी के सैक्टर-62, Noida, उत्तर प्रदेश स्थित हेड ऑफिस के सामने अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर निम्नलिखित मांगो के लिए बैठे है ताकि शायद कोई हमारी आवाज सुन ले।

1. हमारे जीवन समय की कमाई जो बिल्डर ने लूट ली है, की सुरक्षा की गारंटी सरकार दे।
2. अनिल शर्मा और आम्रपाली के अन्य निदेशकों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वाष-हनन से संबन्धित IPC की गैर-जमानती धाराओ के तहत तुरंत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाय।
3. आम्रपाली वेरोना हाइट्स परियोजना का तत्काल प्रभाव से सरकारी एजेंसियो/प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहण कर निर्माण कार्य शुरू किया जाय।
4. आम्रपाली निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए निवेशकों के पैसे मे वित्तीय अनियमितता और सरकारी अधिकारियों, बैंक के अधिकारियों और बिल्डरों की गठजोड़ की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का तुरंत प्रभाव से गठन।
5. राष्ट्रीय कंपनी कानून बोर्ड के प्रावधानों मे तुरंत प्रभाव से परिवर्तन कर buyers द्वारा बिल्डर कों दिये गए पैसों कों भी Secured Credit के रूप मे मान्यता देना
6. सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अम्रपाली की देरी वाली परियोजनाओं के खरीदारों के गृह ऋण मे ब्याज से मुक्ति तथा सभी subvention Plan के तहत आने वाले खरीदारों कों बिल्डर द्वारा डिफ़ाल्ट किए जाने पर किसी भी Liability से मुक्ति
7. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से खरीदारों के प्रति जवाबदेह बनाया जाय तथा सभी बैंकों को EMI की वसूली को निलंबित करने और और ब्याज मे छूट के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाय।

सर, बिल्डर्स/ अथॉरिटी द्वारा सताये गए हम जैसे हजारों buyers को इस दलदल से निकालने हेतु आज हमारे लिए एकमात्र उम्मीद की किरण आप ही है। इसलिए हम सभी buyers आपसे करबद्ध प्रार्थना करते है की हमारी उपरोक्त मांगों पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करने हेतु सभी संबन्धित अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से आदेश जारी करें

धन्यवाद सहित,

आपका विश्वासभाजन

नाम
पता
फ्लैट न.
मोबाइल न.

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-</u>

1. माननीय प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली - 110011
2. प्रमुख सचिव, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, चौथा मंजिल, श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, सरोजिनी नायडु मार्ग, लखनऊ- 226 001. (यू.पी.)
3. श्री बी. एन. सिंह, जिलाधिकारी, गौतम बुध नगर, कलेक्ट्रेट, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा-201306, उत्तर प्रदेश
4. अध्यक्ष, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, प्लॉट नंबर 01, नॉलेज पार्क -4, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201308